extremely vulnerable and the instances of misuse also galore. On the other hand, electronic machines offer maximum security to realisation of postal revenue.

(c) An Expert Group consisting of the representatives from the Department of Post, Indian Institute of Technology, Delhi and the Department of Electronics was constituted to determine the parameters for grant of approval to electronic franking machines for the use of the members of the public. On the basis of these parameters copy approval has already been given to eight different models of franking machines. There would be no dearth of these machines in the market.

ग्रामीण महिलाओं को पी०सी०ओ०/ आई०एस०डी०/एस०टी०डी० कनेक्शन दिया जाना

627. **चौधरी हरमोहन सिंह यदाव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पी०सी०ओ०/ आई०एस०डी०/एस०टी०डी० कनेक्शनों के आवंटन में ग्रामीण महिलाओं को कोई प्राथमिकता दी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1997 के दौरान दरभंगा (बिहार) में ग्रामीण महिलाओं को कितने पी०सी०ओ० आबंटित किए गए हैं; और

(घ) दरभंगा (बिहार) में ऐसी महिलाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरुकायस्थ): (क) और (ख) विभाग की मौजूदा नीति के तहत शिक्षित बेरोजगारों को एस०टी०डी० पी०सी०ओ० आबंटित किए जाते हैं बशर्ते कि तकनीकी रूप से ऐसा करना व्यवहार हो और इसी उम्मीदवार अन्य शर्तें पूरा करतसे हों। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षिक अर्हता आठवीं और शहरी क्षेत्रों के लिए दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य ह। महिलाओं सहित निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है:—

1. दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक।
3. भूतपूर्व सैनिक तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को विधवाएं।
4. दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित।
5. स्वतंत्रता सेवानियों के आश्रित।
6. धर्मार्थ संस्थाएं/अस्पताल।

(ग) 1997 के दौरान, दरभंगा में ग्रामीण महिलाओं को 156 पी०सी०ओ० आबंटित किए गए हैं।

(घ) इन कनेक्शनों के लिए दरभंगा (बिहार) में 322 ग्रामीण महिलाओं ने आवेदन किया है।

C.L.B. nod for additioal Directors in Dunlop

628. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether Government's attention has been drawn to the newsitem captioned "DCA seeks CLB nod for 9 additioal Directors in Dunlop" appeared in the Statesman, dated 29th April, 1998;

(b) whether any petition has been filed by Government; and

(c) major reasons compelling Government to seek CLB's intervention.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) and (b) Yes, Sir. The Government has moved a petition on 16.4.98 before the Company Law Board under Section 408 of the Companies Act, 1956 for appointment of 9 directors on the Board of Directors of M/s. Dunlop India Limited.

(c) The Government had ordered an inspection of M/s. Dunlop India Limited under Section 209A of the Companies Act, 1956 consequent upon some complaints received against working of the company from Dunlop Workers' Union. The Inspection Report *inter-alia* revealed violations of various Sections of the Companies Act, 1956. The report has also